भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 66

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

66. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के लिए कितनी पहलों का प्रस्ताव किया गया है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश भर में उक्त योजना के पूर्ण कार्यान्वयन और इसके दायरे में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए की जा रही भावी पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री सी. आर. पाटील)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"हरियाणा में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *66 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2015-16 के दौरान खेतों तक पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, कृषि क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों की शुरूआत करने आदि के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक अर्थात प्रथम घटक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और द्वितीय घटक हर खेत को पानी हैं। जबकि हर खेत को पानी में चार उप-घटक (i) कमान क्षेत्रफल विकास और जल प्रबंधन (कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल विकास (केवल वर्ष 2021-2022 तक ही अनुमोदन और उसके उपरांत केवल चल रहे कार्यों का अनुमोदन) शामिल रहते हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 में, हर खेत को पानी के कमान क्षेत्रफल विकास और जल प्रबंधन उप-घटक के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यान्वयन के साथ कार्यान्वित किए जाने के लिए शुरू किया गया था।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री सिंचाई लाभ कार्यक्रम में वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भी शामिल रहता है जिसे भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) घटक को पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2016-21 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था जो अब कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2016-17 से 2023-24 की अवधि में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान, 47,149 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के तहत लाया गया था और 4,104 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरूद्धार कार्य किया गया था और 435 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण/बागवानी के अंतर्गत लाया गया था।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को **वर्ष** 2021-22 से 2025-26 की अवधि में जारी रखने के अनुमोदन के बाद, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत हरियाणा के पांच जिलों में 31,221 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करने से संबंधित 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस संबंध में, जिला-वार विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

इन परियोजनाओं के माध्यम से, वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान हरियाणा में 124.50 हेक्टेयर डिग्रेडिड/वर्षा आधारित क्षेत्र को विकसित किया गया है, 53 हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा और नमी संरक्षण कार्यों के साथ कवर किया गया है, 15.15 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण/बागवानी की गई है, 337 जल

संचयन संरचनाओं का सृजन/पुनरूद्धार किया गया है और 124 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" घटक के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान 178.59 हजार हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के अंतर्गत जिलावार वास्तविक प्रगति का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक आगे बढ़ाए जाने को कुल 93,068.56 करोड़ रुपए (37,454 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड द्वारा 20,434.56 करोड़ रुपए की ऋण सर्विसिंग और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाने वाला राज्य हिस्सा 35,180 करोड़ रुपए) के परिव्यय से स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की इस अवधि में लक्ष्य, चल रही परियोजनाओं को पूरा करना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी-सतही लघु सिंचाई, मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार और और वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत नई बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को शामिल करने और सिंचाई विकास कार्यान्वित करने और देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना है।

*****

अनुलग्नक-।

"हरियाणा में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *66 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत वास्तविक प्रगति का राज्य-वार विवरण:

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एआईबीपी के साथ सीएडीडब्ल्यू एवं एम का समान रूप से कार्यान्वयन (सृजित सिंचाई क्षमता)	एसएमआई और आरआरआर (सिंचाई क्षमता/पुनर्बहाल)	जीडब्ल्यू (कवर कमांड एरिया)	पीडीएमसी (सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र)	डब्ल्यूडीसी (संरक्षित सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र)
1	आंध्र प्रदेश	24.33	-	-	837.29	232.12
2	अरुणाचल प्रदेश	-	5.63	3.74	13.30	5.74
3	असम	36.54	100.46	38.65	45.17	112.98
4	बिहार	19.69	56.60	-	25.52	23.85
5	छत्तीसगढ़	16.76	4.87	-	140.13	24.08
6	गोवा	4.24	-	-	0.80	-
7	गुजरात	610.90	3.70	1.87	974.24	28.39
8	हरियाणा	-	-	-	175.48	16.95
	हिमाचल प्रदेश	0.66	20.60	-	7.59	4.99
10	झारखंड	79.80	6.09	-	36.10	5.28
11	कर्नाटक	115.86	-	-	1,941.07	64.60
12	केरल	2.58	-	-	4.89	30.51
13	मध्य प्रदेश	182.94	39.83	-	331.38	215.58
14	महाराष्ट्र	385.77	-	-	990.47	83.15
15	मणिपुर	24.45	8.29	2.06	15.26	1.83
16	मेघालय	-	19.31	-	0	3.77
17	मिजोरम	-	2.22	0.55	4.63	23.49
18	नागालैंड	-	6.39	0.67	25.16	4.83
19	ओडिशा	87.44	25.42	-	123.91	60.28
20	पंजाब	34.99	-	-	14.36	3.15
21	राजस्थान	16.38	14.78	-	766.60	90.27
22	सिक्किम	-	4.18	-	15.39	0.03
23	तमिलनाडु	20.65	6.23	0.61	1102.76	103.05
24	तेलंगाना	189.57	25.98	-	288.54	57.24
25	त्रिपुरा	-	-	3.01	4.51	3.70
26	उत्तराखंड	-	21.27	1.03	32.32	0.53
27	उत्तर प्रदेश	766.92	2.35	36.36	391.61	103.01
28	पश्चिम बंगाल	-	-	-	105.41	17.56
29	केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	6.52	33.11	-	1.10	32.76
30	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0.00			0.003	0.41
	कुल (क)	**2,626.99**	**407.31**	**88.55**	**8,414.99**	**1,354.13**

*****

अनुलग्नक-।।

"हरियाणा में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *66 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत हरियाणा के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की जिले-वार सूची:

क्र.सं.	**जिला**	**परियोजना क्षेत्र* (हेक्टेयर में)**
1	भिवानी	**8,027**
2	चरखी दादरी	4,141
3	महेन्द्रगढ़	7,676
4	गुरूग्राम	5,829
5	यमुना नगर	5,548
	कुल	**31,221**

*****

अनुलग्नक-।।।

"हरियाणा में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *66 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2015-16 से 2023-24 के दौरान हरियाणा राज्य में पीडीएमसी के तहत शामिल जिला-वार क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	जिला	शामिल क्षेत्र हेक्टेयर में*
1	अंबाला	487.22
2	भिवानी	67,849.13
3	फरीदाबाद	48.79
4	फतेहाबाद	1,860.06
5	गुरुग्राम	7,303.43
6	हिसार	12,623.90
7	झज्जर	5,355.31
8	जींद	556.56
9	कैथल	502.30
10	करनाल	348.02
11	कुरुक्षेत्र	962.79
12	महेंद्रगढ़	28,161.89
13	पंचकुला	236.26
14	पानीपत	355.36
15	रेवाड़ी	16,473.01
16	रोहतक	525.91
17	सिरसा	9,528.03
18	सोनीपत	215.55
19	यमुना नगर	1,592.10
20	नूंह	6,836.67
21	पलवल	253.31
22	चरखी दादरी	16,517.88
	कुल :	1,78,593.48

*****